पास - पड़ोस तथा कार्यक्षेत्र में उत्पीड़न —

पास - पड़ोस का कार्यक्षेत्र ही नहीं अपितु परिवार, समाज सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। पास - पड़ोस और कार्यस्थल पर होने वाला उत्पीड़न महिलाओं की गति को अवरुद्ध कर देता है। पास - पड़ोस का वातावरण, पड़ोसियों के दृष्टिकोण का बालिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। पास - पड़ोस का वातावरण बालिकाओं को प्रोत्साहित करने या उनकी खेलने - कूदने वस्त्र पहनने, शिक्षा आदि पर छींटाकशी करके उनका मार्ग अवरुद्ध करने का कार्य करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है अतः पास - पड़ोस के बिना वह नहीं रह सकता और बालिकाओं को सामाजिकता का पाठ परिवार के पश्चात पास - पड़ोस के वातावरण से ही मिलता है। कार्यक्षेत्र पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है।

कारण –

1. लोगों का दृष्टिकोण –

पड़ोस तथा कार्यस्थल इत्यादि स्थलों पर लोगों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण संकुचित है। वे महिलाओं को पैर की जूती और घर की सजावट की सामग्री मात्र मानते हैं और जब भी महिला उत्पीड़न की शिकार होती है तो सर्वप्रथम उसके कपड़ों, बाहर निकलने इत्यादि को दोषी ठहराया जाता है। परन्तु उस समय हम यह भूल जाते हैं कि छः साल तथा कुछ महीनों और वृद्ध महिलाओं के साथ भी तो उत्पीड़न की घटनायें हो रही हैं।

महिलाओं की चुप्पी –

जिस प्रकार किसी पक्षी को चिरकाल तक पिंजड़े में कैद रखा जाये तो वह अपने उड़ने की शक्ति भी नहीं जान पाता, कुछ ऐसा महिलाओं के साथ हुआ।

बेटियाँ कभी भी अपनी माँ और पिता से उनके साथ हो रहे उत्पीड़न पर खुलकर बात नहीं कर पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उल्टा उन्हे ही दोषी समझा जाने लगेगा। घर से निकलना और लिखना पढ़ना भी दूभर हो जायेगा या किसी लड़के को ढूँढ़कर आनन - फानन में विवाह करा दिया जायेगा।

पुरुष - प्रधान समाज -

सामाजिक ताने - बाने में पुरुषो को महत्व दिया गया है। ये वंश चलाने वाले, पितरों का उद्धार करने वाले, वंश की गरिमा को बढ़ाने वाले, आर्थिक उत्तरदायित्वो को निर्वहन करने वाले, परिवार का भरण - पोषण करने वाले, निर्णय लेने वाले धार्मिक क्रिया-कलापो को सम्पन्न करने वाले होते है, जिसके कारण पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो की स्थिति समाज में निम्न हो जाती है।

घर, परिवार और समाज का असहयोग —

महिलाओं का उत्पीड़न इसलिए भी होता है कि उन्हे घर, परिवार और समाज का असहयोग ही प्राप्त होगा। महिलाओं के सामने अनेक ऐसे उदाहरण होते है जब वे उत्पीड़न का शिकार भी होती है तथा घर, परिवार और समाज की उपेक्षा को भी झेलती है। जिसके कारण उत्पीड़न करने वाले बच जाते है है और वे एक के बाद दूसरी महिला को अपनी बदनियती का शिकार बनाते रहते है।

अशिक्षा —

महिलाओ के पास - पड़ोस तथा कार्यस्थल पर उत्पीड़न के पीछे एक प्रमुख कारण उनका तथा समाज में फैली अशिक्षा है। महिलाओ की शिक्षा आज भी पिछड़ी अवस्था मे है। औरतो और पिछड़ी जातियों, जनजातियो, अल्पसंख्यको तथा शारीरिक

चुनौतीग्रस्त महिलाओं — इनमें ग्रामीण तथा शहरी स्तर पर स्थिति में अन्तर और चिन्तापूर्ण है। हमारे समाज में भी प्रौढ़ शिक्षादि के कारण भी अशिक्षा व्याप्त है जिससे उनके प्रति उत्पीड़न और भेदभाव कम होता है। अतः अशिक्षा महिलाओं के पास - पड़ोस और कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न का प्रमुख कारण है।

जागरूकता का अभाव —

जागरूकता का समाज से अभाव है। इसी कारण ये वे पुरातन रूढ़ियों अन्धविश्वासों और परम्पराओं में जकड़े हुए हैं और महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं। स्त्रियों की शिक्षा उनके प्रति होने वाले उत्पीड़न की पहचान इत्यादि

कानूनी प्रावधानों की जानकारी न होना —

महिलाओं को तथा उनके माता - पिता इत्यादि

को कानूनी प्रावधानो के विषय मे जानकारी नही है। जब किसी महिला का उत्पीड़न किया जाता है तो न उसे ही और न उसके परिवार को नही है। जब किसी को यह ज्ञात होता है कि क्या कानून है तथा न्याय हेतु किसकी सहायता प्राप्त करनी है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानो की जानकारी न होने के कारण पास-पड़ोस तथा कार्यस्थल पर उन्हे उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

आर्थिक कमजोरी -

पितृसत्तात्मकता के कारण सम्पत्ति पर पिता के पश्चात पुत्र का अधिकार होता है। ससुराल मे भी पति ही सम्पत्ति का अधिकारी होता है, उसके पश्चात पुत्र। कार्य करने मे महिलाओ से बेगारी समान कार्य हेतु समान वेतन न देकर आदि शोषण किया जाता है।

प्रशासनिक असहयोग –

प्रशासनिक असहयोग के कारण महिलाओं का पास - पड़ोस और कार्यस्थल पर उत्पीड़न किया जाता है क्योंकि महिलाओं को प्रशासनिक असहयोग का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग लेने से कतराती है।

लैंगिक भेदभाव तथा समस्याएँ –

लैंगिक भेदभाव और उनसे जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना घर और बाहर स्त्रियों को करना पड़ता है, वे निम्न प्रकार है –

1. बालिकाओं का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाना।
2. बाल - विवाह तथा पर्दा - प्रथा आदि का प्रचलन।
3. स्त्रियों की दशा निम्नतम रह जाना
4. आर्थिक सशक्तीकरण न हो पाना
5. योग्य सन्तानों का अभाव।